कार्यवृत्त

शुक्रवार, 27 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1944

(दिनांक : 17 जून, 2022)

खण्ड–63
अंक–4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजकर 15 मिनट से श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार सहित पूरे प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से प्रत्येक वर्ग को हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी। मा0 सदस्य, श्री मौ0 शहजाद तथा श्री उमेश कुमार पत्रकार द्वारा भी नियम 310 के अन्तर्गत दी गई अपनी अपनी सूचनाओं को लिए जाने पर जोर देने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें परन्तु मा0 सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे विद्युत कटौती विषयक नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगी। इस पर मा0 सदस्य ने अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 26 सूचनायें प्राप्त हुई है। वे सभी सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर रही हैं। निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार हुई :–

1.	श्री सुरेश गढ़िया,	कपकोट विधान सभा में बन्दरों एवं जंगली सुअरों के द्वारा किये जा रहे फसलों के नुकसान के रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री मनोज तिवारी,	राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पूर्व की भांति चयन वेतनमान में तदर्थ सेवा लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।
3.	श्री रवि बहादुर,	जनपद हरिद्वार के बेगमपुर औद्योगिक क्षेत्र को सिड़कुल का हिस्सा न घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4.	श्री विक्रम सिंह नेगी,	योग भूमि उत्तराखण्ड में योग शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।
5.	श्री फुरकान अहमद,	जनपद–हरिद्वार, रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क वसूलने के उपरान्त भी सम्बन्धित क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।
6.	श्री उमेश शर्मा काऊ,	विधान सभा क्षेत्र रायपुर के सूर्यधार बैराज से जलापूर्ति हेतु पेयजल विभाग द्वारा जलापूर्ति से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में।

7.	श्री सुमित हृदयेश,	उत्तराखण्ड प्रदेश के उधमसिंह नगर में सिड़कुल, पन्तनगर से सम्बन्धित तमाम कम्पनियों के सब्सिडी लेने के उद्देश्य से अन्य राज्यों को पलायन करने से राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी के सम्बन्ध में।
8.	श्रीमती ममता राकेश,	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के अन्तर्गत भगवानपुर से हरिद्वार कुम्भ मेला क्षेत्र में चार धाम यात्रा की तर्ज पर पेयजल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में।
9.	श्री दुर्गेश्वर लाल	प्रदेश में शिक्षकों के अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।
10.	श्री बृजभूषण गैरोला,	स्व0 श्री पूर्ण चन्द्र बहुगुणा की धर्मपत्नी श्रीमती सत्यभामा की पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में।
11.	श्री महेश जीना,	विधान सभा क्षेत्र सल्ट में वर्षों से स्वीकृत हरड़ा–भिक्यिासैंण मोटर मार्ग का निर्माण न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
12.	श्री प्रमोद नैनवाल,	विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के कुंजगढ नदी से सिंचित भूमि कटाव को रोकने के लिए उचित उपाय नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
13.	श्री दीवान सिंह बिष्ट,	विधान सभा क्षेत्र रामनगर के कोसी नदी की बाढ़ से बचाव के लिए उचित उपाय नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
14.	श्री विशन सिंह चुफाल,	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड डीडीहाट में रा0प्रा0वि0 दूनाकोट (खेतार) क्षेत्र में विद्यालय का भवन ध्वस्त होने के बाद भी विभाग द्वारा भवन निर्माण होने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
15.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर,	जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई की गम्भीर समस्या होने से कृषि योग्य भूमि बंजर होने से जनता में भारी आक्रोश के सम्बन्ध में।
16.	श्री त्रिलोक सिंह चीमा,	विधान सभा क्षेत्र में काशीपुर–रामनगर रोड़ से काशीपुर–रूद्रपुर मार्ग तक बाईपास के रूप में सुसज्जित न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
17.	श्री प्रदीप बत्रा,	रूड़की शहर की ट्रैफिक लाईटों का संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी कार्य नगर निगम रूड़की द्वारा सुचारू रूप से किये जाने के सम्बन्ध में।
18.	श्री राम सिंह कैड़ा,	विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्ड ब्लॉक में बनी सड़कों की दयनीय स्थिति को सुधारने व P.M.G.S.Y. की सड़कों को P.W.D. को हैण्ड ओवर करने के सम्बन्ध में।

19.	श्री शिव अरोरा,	विधान सभा रूद्रपुर शहर में गाबा चौक से डी.डी. चौक होते हुए तीन पानी तक (काशीपुर से किच्छा बाईपास) मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
20.	हाजी सरवत करीम अंसारी,	विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम भगवानपुर, चन्दनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में।
21.	श्री फकीर राम टम्टा,	विधान सभा क्षेत्र गंगोलीघाट के अन्तर्गत कोटमन्या से पॉखु सड़क का डामरीकरण न होने के कारण जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
22.	श्री शहजाद,	उत्तर प्रदेश राज्य की भांति उत्तराखण्ड राज्य में भी चरित्र प्रमाण–पत्र एवं हैसियत प्रमाण–पत्र 03 वर्ष के लिए जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
23.	श्री खजान दास,	दिलाराम बाजार, राजपुर रोड़, देहरादून में पार्किंग निर्माण को मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।
24.	श्री प्रीतम सिंह पंवार,	प्रदेश में किसानों की भूमि का सर्वेक्षण/बन्दोबस्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
25.	श्री शक्ति लाल शाह,	प्रदेश की तीन विधान सभाओं यथा घनसाली, टिहरी, प्रतापनगर के निवासियों को टिहरी बांध के ऊपर आवागमन की सुविधा दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में।
26.	श्री राजकुमार पोरी,	पौडी विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय में प्रस्तावित हैरीटेज स्ट्रेट का निर्माण कार्य न हो पाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखण्ड, वर्ष 2021–22 खण्ड–1 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या–1 वर्ष 2022 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने ''भारत का संविधान के अनुच्देछ 323(2) के अन्तर्गत ''उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवदेन'' (अवधि 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 16 (2) के अन्तर्गत वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनसाली के अन्तर्गत हिन्दाव पट्‌टी के प्रसिद्ध धाम विश्वनाथ को रोप–वे से जोड़ने के सम्बन्ध में'' श्री दरम्यान सिंह रावत, पूर्व प्रधान चांजी मल्ली, टिहरी गढवाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सुमित हृदयेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी शहर में 05 वर्ष पूर्व की गयी रिंग रोड़ निर्माण की घोषणा के पश्चात भी अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में'' श्री गोविन्द सिंह बिष्ट, पुत्र स्व0 श्री हर्षा सिंह, ग्राम व पोस्ट शिवपुरी दमुवाढूंगा, हल्द्वानी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से मा0 सदस्य, श्री हरीश सिंह, श्रीमती ममता राकेश, श्री विक्रम सिंह नेगी, मो0 शहजाद एवं श्री प्रीतम सिंह की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रही हैं। शेष सूचना अस्वीकार हुई।

म0 सदस्य, श्री मौ0 शहजाद द्वारा नियम–58 में ग्राहयता पर सुनने के लिए ली गई सूचना के स्थान पर नियम–310 की सूचना को नियम–58 में सुनने का आग्रह किया जिसे श्री अध्यक्ष ने स्वीकार किया।

विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत तटबन्धों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्री हरीश सिंह ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में क्षेत्रीय जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिल पाने से जनता में व्याप्त भारी असंतोष के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में पेयजल की समस्या एवं जल जीवन मिशन से पेयजल आपूर्ति नहीं होने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्री विक्रम सिंह नेगी एवं श्री सुमित हृदयेश ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

जनपद हरिद्वार के तहसील लक्सर के अन्तर्गत काठा पीर के मजार में होने वाले मेले में श्रद्धालुओं की आस्थाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य, मौ0 शहजाद ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

पर्वतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त होने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित जनपद हरिद्वार सहित पूरे प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से प्रत्येक वर्ग को हो रही कठिनाईयों विषयक सूचना पर विचार व्यक्त किये गये।

श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 47 मिनट पर सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिये स्थगित की।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री विक्रम सिंह नेगी, श्री मनोज तिवारी, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री तिलक राज बेहड़, श्री भुवन चन्द्र कापडी, श्री सुमित हृदयेश, श्रीमती अनुपमा रावत, श्री रवि बहादुर, श्री विरेन्द्र कुमार एवं श्रीमती ममता राकेश ने भी विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत दिनांक 17.06.2022 को प्रदेश के हल्द्वानी में शान्तिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा बर्बतापूर्वक लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी। श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम एवं परम्परा के अन्तर्गत मा0 सदस्यों की नियम–58 और नियम–310 की सूचना को नियम–58 में परिवर्तित कर वे ग्राह्यता पर सुन चुकी हैं। उपवेशन का बहुत कार्य अभी होना है, अतः वे अनुमति नहीं दे रही हैं।

इस पर विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा सदन के 'वेल' में आ कर नारे लगाये जाने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 सदस्य अपना अपना स्थान ग्रहण करें तथा सदन कार्य आगे बढ़ने दें परन्तु मा0 सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

<u>वित्तीय वर्ष, 2022–2023 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः–</u>

1. घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 21108553 हजार (रूपये दो हजार एक सौ दस करोड़ पचासी लाख तिरपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–13 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

2. घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 12061993 हजार (रूपये एक हजार दो सौ छः करोड़ उन्नीस लाख तिरानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–17 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

3. घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 3370495 हजार (रूपये तीन सौ सैंतीस करोड़ चार लाख पंचानबे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–24 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–24 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

4. घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 20226578 हजार (रूपये दो हजार बाईस करोड़ पैंसठ लाख अठहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–30 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

5. घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 5768362 हजार (रूपये पांच सौ छिहत्तर करोड़ तिरासी लाख बासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–31 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

6. घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 5316661 हजार (रूपये पांच सौ इकतीस करोड़ छियासठ लाख इकसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–28 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

7. घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 6053188 हजार (रूपये छः सौ पांच करोड़ इकतीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–16 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

8. घोर व्यवधान के मध्यसंसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25 खाद्य अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 5343254 हजार (रूपये पांच सौ चौंतीस करोड़ बत्तीस लाख चौवन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–25 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

04 बजकर 22 मिनट पर विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा सदन से बर्हिगमन किया गया।

9. संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 28041976 हजार (रूपये दो हजार आठ सौ चार करोड़ उन्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

10. संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 942863 हजार (रूपये चौरानवे करोड़ अठ्ठाईस लाख तिरसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–01 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

11. संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 989970 हजार (रूपये अठ्ठानवे करोड़ निन्यानबे लाख सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–03 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 3707333 हजार (रूपये तीन सौ सत्तर करोड़ तिहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 23398214 हजार (रूपये दो हजार तीन सौ उनतालीस करोड़ बयासी लाख चौदह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 274950 हजार (रूपये सत्ताईस करोड़ उन्नचास लाख पचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–09 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 24235504 हजार (रूपये दो हजार चार सौ तेईस करोड़ पचपन लाख चार हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 39941638 हजार (रूपये तीन हजार नौ सौ चौरानबे करोड़ सोलह लाख अड़तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 1280888 हजार (रूपये एक सौ अठ्ठाईस करोड़ आठ लाख अठ्ठासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 36991337 हजार (रूपये तीन हजार छः सौ निन्यानबे करोड़ तेरह लाख सैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 4827453 हजार (रूपये चार सौ बयासी करोड़ चौहत्तर लाख तिरपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–21 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 23388650 हजार (रूपये दो हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ छियासी लाख पचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–22 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 4480760 हजार (रूपये चार सौ अड़तीस करोड़ सात लाख साठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित किया।

प्रतियां वितरित की गई।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 खण्ड–1 तथा अनुसूची प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2022 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड– 2, खण्ड– 1, प्रस्तावना और शीर्षक संशोधन सहित इस विधेयक के अंग बन गए।

संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड– 2, खण्ड– 1, प्रस्तावना और शीर्षक संशोधन सहित इस विधेयक के अंग बन गए।

संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड– 2, खण्ड– 1, प्रस्तावना और शीर्षक संशोधन सहित इस विधेयक के अंग बन गए।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री महेश जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे प्रत्येक गाँव/तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में राशन कार्डो को जमा कराये जाने से पूर्व प्रत्येक परिवार का आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री उमेश कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छाम (कण्डीसौड़) व सामुदायिक स्वाास्थ्य केन्द्र थत्यूड़ (जौनपुर) में सभी आवश्यक सुविधायें चिकित्सकों सहित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री उमेश कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 में कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इन सभी सूचनाओं को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर रही हैं।

कपकोट विधानसभा में पर्यटन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में,

मा0 सदस्य, श्री सुरेश गढिया,

माध्यमिक अतिथि शिक्षकों के कैबिनेट में हुए निर्णय के पश्चात भी शासनादेश जारी न होने एवं उनके सुरक्षित भविष्य के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी,

सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018 के अनुसार तदर्थ सेवाओं को सेवानिवृत्ति लाभ हेतु अर्ह न मानने से उत्पन्न समस्या के समाधान के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री सुमित हृदयेश,

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के खण्डो में आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से तैनात मेट, बेलदार, वाहन चालक एवं मशीन आपरेटर आदि कर्मियों को संविदा/उपनल में समायोजन के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री विक्रम सिंह नेगी,

उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश के बीच 18.11.2021 को परिसम्पत्तियों के बंटवारे के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री रवि बहादुर,

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र जसपुर के अन्तर्गत फैक्ट्रीयों में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री आदेश चौहान,

प्रदेश में होम्योपैथिक विभाग में ऐलोपैथिक व आयुर्वेदिक विभाग में कर्मचारियों व उनके परिवारों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ न मिलने के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री भुवन चन्द्र कापड़ी,

उत्तराखण्ड राज्य में राशन कार्डों का नवीन सर्वे कराकर भवनों में बोर्ड लगवाने के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री दुर्गेश्वर लाल,

भीमताल विधान सभा क्षेत्र के रामगढ़ ओखलकाण्डा, धारी, भीमताल में गत दिनों में आयी आपदा से हुए नुकसान की पुनः सर्वे की जाय के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री राम सिंह कैड़ा,

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ट्रामा सेन्टर के रूप बदलने के लिए व्याप्त सूचना के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री फकीर राम टम्टा,

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून में जुलाई 2013 से मार्च 2017 तक करायी गयी आडिट रिपोर्ट के अनुसार राजकोष में धनराशि के नुकसान के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री उमेश शर्मा,

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत नगर पंचायत भगवानपुर में वी0डी0 इण्टर कालेज के पास कब्रिस्तान की भूमि का कटाव रोकने के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्रीमती ममता राकेश,

विधान सभा रूद्रपुर वर्ष 19–20 अक्टूबर, 2021 को रूद्रपुर में भीषण बाढ़ से आयी आपदा से स्थाई समाधान हेतु उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान से जांच कराकर स्थाई समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री शिव अरोरा,

जर्जर विद्युत पोलों व झूलते तारों का नव परिवर्तन न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री महेश जीना,

विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत टोंगिया ग्राम रामपुर, लेटी, चोपड़ा का नियमितीकरण नहीं होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री दीवान सिंह बिष्ट,

विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिनौड़ा के निर्मित भवन में स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री प्रमोद नैनवाल,

क्लीनिकल इस्टैब्लिसमेंट एक्ट 2010 में राज्य के 50 बेड से कम वाले हॉस्पिटलों को एक्ट के दायरे से बाहर रखने के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री प्रदीप बत्रा,

राजपुर रोड़ विधान सभा, देहरादून के अन्तर्गत वार्ड सं0 29 एवं 30 डालनवाल में पंजीकृत श्रमिक आश्रित महिलाओं के द्वारा 02 माह के कौशल विकास प्रशिक्षण के दौरान दिये जाने वाले मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री खजान दास,

विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत धनौल्टी–मोरियाणा–खाद–नागटिब्बा वन मोटर मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह पंवार तथा

पौड़ी जिले के वंचित 126 कार्डधारी राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य, श्री राजकुमार पोरी,

की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की वर्ष 2013 से 2017 तक की करायी गयी आडिट जांच के अनुसार राजकोष में हुए नुकसान के सम्बन्ध में श्री भुवन चन्द्र कापडी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जून, 2022 की सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने नियम– 53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

नई टिहरी स्थित स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भूमि व भवन न होने के कारण व्याप्त अंसतोष के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जून, 2022 पर दी गयी सूचना पर शिक्षा मंत्री ने नियम– 53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 04 बजकर 45 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुआ।

देहरादून :
दिनांक : 17 जून, 2022

मुकेश सिंघल,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

ऋतु खण्डूड़ी भूषण,
अध्यक्ष,
विधान सभा।